न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट :– 16/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बउनवान

राज. सरकार जर्ये श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री मुकेश मित्तल पुत्र नवल किशोर मित्तल उम्र 34 वर्ष जाति मित्तल ग्राम पावर हाउस वाली गली, गुना रोड नाहरगढ तहसील किशनगंज (विक्रेता व मालिक) मैसर्स श्री नाथ कन्फैक्शनरी, पॉवर हाउस वाली गली नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारॉ (राज.)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री वीरेन्द्र अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 14.1.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2016 को मैसर्स श्री नाथ कन्फैक्शनरी, पॉवर हाउस वाली गली नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री मुकेश मित्तल पुत्र नवल किशोर मित्तल (मौके पर मौजूद मालिक एवं विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 27.10.2016 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **सुगर बोईल कन्फैक्शनरी (इकलेयर्स)** 280 ग्राम के पैकिट मे विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **सुगर बोईल कन्फैक्शनरी (इकलेयर्स)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **सुगर बोईल कन्फैक्शनरी (इकलेयर्स)** विक्रेता से 280 ग्राम के 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री मुकेश मित्तल पुत्र नवल किशोर मित्तल को 200/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **सुगर बोईल कन्फैक्शनरी (इकलेयर्स)** 280 ग्राम के चार पैकिट को अलग–अलग चार प्लास्टिक के डिब्बो मे पेक कर लेबल तैयार कर प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना जार पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–678 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमूना भागो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री मुकेश मित्तल पुत्र नवल किशोर मित्तल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति को सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/07 दिनांक 3.1.2017 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 423/FSSA/Kota/Act/2016/492 दिनांक 28.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **सुगर बोईल कन्फैक्शनरी (इकलेयर्स)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(Zf)(c)(1) के तहत **मिथ्याछाप (Mis branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र की सूचना चाही गई। अप्रार्थी द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं फोटो आई0डी0 की छायाप्रति कार्यालय मे पेश की गयी। उक्त खाद्य पदार्थ का क्रय बिल नही होना बताया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 17.5.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य खाद्य पदार्थ **सुगर बोईल कन्फैक्शनरी (इकलेयर्स)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व सर्वथा गलत रूप से कार्यवाही की है जो निरस्तनीय है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एफ.एस.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानो की कोई पालना नही की है जिन शीशीयों मे सेम्पल भरा गया है उन शीशीयों को ढंग से साफ नही किया गया है ओर स्वतंत्र गवाहो की साक्ष्य भी लेखबद्व नही की बल्कि स्वंय विभाग के कर्मचारियों की साक्ष्य के आधार पर उक्त मुकदमा पंजीबद्व किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सुगर बोईल कन्फैक्शनरी (इकलेयर्स) को मिथ्याछाप बताकर अप्रार्थी को आरोपित किया गया है जो उचित नही है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ा) का उल्लंघन नही किया है। अप्रार्थी के विरूद्व उक्त धारा का उल्लंघन मानकर जुर्माना निर्धारित किया है। मिथ्याछाप (मिसब्राण्ड) खाद्य पदार्थ का ना तो कभी विक्रय किया है ना ही संग्रहण किया है। अप्रार्थी के विरूद्व गलत आरोप लगाया गया है। उक्त कार्यवाही पूरी तरह से निरस्तनीय है। अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विरूद्व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अनसेफ वाले प्रकरण सिविल न्यायालय मे दर्ज होते है, जिनमे साक्ष्य तलब की जाती है। यह प्रकरण मिथ्याछाप एवं जुर्माने से संबंधित है इसमे साक्ष्य की आवश्यकता नही होती है। अप्रार्थी यदि उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नही था, तो उसे जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 423/FSSA/Kota /Act/2016 /492 दिनांक 28.12.2016 के बाद पुनः जांच करवाये जाने हेतु एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **सुगर बोईल कन्फैक्शनरी (इकलेयर्स)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी को 5,000/— रूपये अक्षरे पॉच हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 14.1.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)